



प्रेषक,

के०पी० सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 27 मार्च, 2026

विषय- जनपद हरदोई में इलेक्ट्रिक बसों हेतु चार्जिंग स्टेशन विकसित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-253बी/डीए/प०/26, दिनांक 18 मार्च, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में इलेक्ट्रिक बसों हेतु चार्जिंग स्टेशन विकसित करने हेतु आवंटित कुल धनराशि रुपये 5,000.00 लाख के अंतर्गत जनपद हरदोई में इलेक्ट्रिक बसों हेतु चार्जिंग स्टेशन विकसित किये जाने के संबंध में नामित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से आंकलित धनराशि रुपये 557.87 लाख के प्रस्ताव का प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी०एफ०ए०डी०) द्वारा धनराशि रुपये 505.78 लाख आंकलित की गयी है।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 18 मार्च, 2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार परिवहन निगम के बस स्टेशनों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु 16 जनपदों/परियोजनाओं की कुल आंकलित लागत ₹0 8092.48 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में ₹0 4046.24 लाख की धनराशि में से जनपद हरदोई में इलेक्ट्रिक बसों हेतु चार्जिंग स्टेशन विकसित किये जाने हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी०एफ०ए०डी०) द्वारा आंकलित लागत ₹0 505.78 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-2025-352/दस-2025-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित निर्देशों के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु प्रथम किश्त के रूप में ₹0 252.89 लाख (रुपये दो करोड़ बावन लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
- (3) परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- (4) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (5) परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (6) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/ड्राकघर में नहीं रखी जायेगी।
 - (7) प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
 - (8) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जायेगा।
 - (9) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-1 एवं 3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।
 - (10) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा ।
 - (11) प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/परिवहन निगम को होगा।
 - (12) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा ।
 - (13) प्रायोजनान्तर्गत बाह्य विद्युत संयोजन हेतु धनराशि अनुमन्य की गयी है। यह भी मत है कि निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत संयोजन हेतु यू0पी0पी0सी0एल0 से विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाए तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त किया जाए।
 - (14) परिवहन निगम द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
 - (15) प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल/ऑडिट का प्रावधान किया गया है। अतः थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के सम्बन्ध में वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 2/2026/ए-2-आई/1172817/2025/दस-2025, दिनांक 02 जनवरी, 2026 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-043 के लेखाशीर्ष "5055-सड़क परिवहन पर पूँजीगत परियोजना-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-04-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूँजी-04-चार्जिंग स्टेशन हेतु-30-निवेश/ऋण" के नामें डाला जाएगा।
- 4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के यू0ओ0 संख्या- E-9-558-X-2025-26-दिनांक: 26-3-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-

के0पी0 सिंह

विशेष सचिव।

संख्या: 50 / 2026/314(1)/तीस-1-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ ।
6. वित्त नियन्त्रक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
8. नियोजन अनुभाग-4/उप सचिव, परिवहन अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
9. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9।
10. परिवहन अनुभाग-3, उ० प्र० शासन।
11. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
12. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

ह०/-

अरविन्द कुमार

अनु सचिव।